राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 6 तेरहवीं विधान सभा के छठे सत्र का तीसवां दिवस संख्या: 11

बुधवार,
16 मार्च, 2011

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11:00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: डा0 रघु शर्मा।

स्थगित प्रश्न

(बुधवार, दिनांक 23 फरवरी, 2011)

सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत देय पेंशन के नियम में संशोधन

36. डा. रघु शर्मा (केकड़ी): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. राज्य में वर्तमान में सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत विधवा/वृद्धावस्था व विकलांग पेंशन तथा पालनहार योजना के तहत जिलेवार कुल कितने लोगों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

2. विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले लोगों को पेंशन दिये जाने के क्या मानदण्ड हैं? क्या सरकार इन मानदण्डों में कोई शिथिलता/संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): (1) राज्य में वर्तमान में विधवा, वृद्धावस्था व विकलांग पेंशन तथा पालनहार योजना के तहत जिलेवार पेंशन का लाभ प्राप्त करने वाले कुल लोगों की संख्या सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्र है।

(2) वृद्धों एवं विधवाओं को राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन यिमा, 1974 एवं नि:शक्तजनों को राजस्थान अपाहिज, अपंग एवं अंधे व्यक्तियों के पेंशन नियम, 1965 के

अन्तर्गत निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पेंशन देय है। नियमों की प्रति क्रमश: परिशिष्ठ-2 एवं 3 पर संलग्न है।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना अन्तर्गत देय पेंशन आदेशों की प्रति क्रमश: परिशिष्ठ-4,5 एवं 6 पर संलग्न है। पालनहार योजना संचालन हेतु संशोधित नियम, 2007 की प्रति परिशिष्ठ-7 पर संलग्न है।

पेंशन हेतु निर्धारित मानदण्डों में उचित प्रस्तावों पर सरकार द्वारा समय समय पर शिथिलता प्रदान की जाती रही है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह जो सारी तरह की पेंशनआप देख रहे हैं सामाजिक सुरक्षा के लिए, उसमें कुल कितना वित्तीय भार आपको वहन करना पड़ रहा है और उसमें से कितना केन्द्र सरकार वहन कर रही है और कितना राज्य सरकार वहन कर रही है।

दूसरा, जो राइडर्स आपने अभी लगा रखे हैं पेंशन देने के मामले में अगर वह राइडर्स हटा दिये जाएं राजस्थान में तो वित्तीय भार कितना आएगा और उसमें केन्द्र कितना पैसा देगा और राजस्थान की सरकार को कितना पैसा देना पड़ेगा।

प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान यह जो पेंशनों के अलग अलग प्रकरण आपके पास कितनी संख्या में प्राप्त हुए उसमें से कितने लोगों को आपने पेंशन स्वीकृत की, कितने लोगों की पेंशन अभी पैण्डिंग है और कितने लोगों की पेंशन को आपने अस्वीकृत किया? अस्वीकृत किये जाने के कारण क्या रहे।

मैं विधान सभा वार और चाहूंगा आपसे क्योंकि यह कैम्प लगाये गये थे पूरे असेम्बली सेगमैंट के हिसाब से तो आप कृपा करके इस सदन को अवगत कराएं और और ज्यादा नहीं बता सकें तो कम से कम केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के बारे में आप बता दें कि कितने आवेदन विधान सभा क्षेत्र में इस कैम्प के दौरान आपको प्राप्त हुए, उसमें कितनों का आपने निस्तारण किया। जिनका निस्तारण नहीं हुआ वह किन कारणों से नहीं हुआ और जिनको आपने रिजेक्ट किया वह किन कारणों से किया?

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में कुल कितने विकलांग हैं? इन विकलांगों के सर्टिफिकेट बनाने की व्यवस्था अभी सरकार की क्या है? क्या इस काम्पलीकेटेड व्यवस्था को सरल करने की आपके पास कोई कार्य योजना है?

राज्य में कुल कितने विकलांग चिन्हित किये गये हैं?

क्या सरकार इन विकलांगों को विभिन्न प्रकार के उपकरण जैसे ट्राईसाइकिल है या और तरीके के सपोर्ट सिस्टम हैं वह देने या वितरण करने का आपका कोई कार्यक्रम है, अगर है तो अब तक आपने कितने विकलांग साथियों को लाभान्वित किया, कितने शेष हैं और भविष्य की क्या कार्य योजना है?

लास्ट, इनको रोजगार देने के लिए सरकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में सरकार की क्या योजना है? इनको दक्षता प्रदान करने के लिए आपके पास क्या कार्य योजना है?

यह सामाजिक सरोकार से जुड़े प्रश्न हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सदन में मंत्री बैठे हैं, एक एक प्रश्न का जवाब उन्हीं से दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष: उन्हीं से दिलवायेंगे।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न एक साथ इतने किये गये हैं इनका मैं क्रमवार उत्तर देना चाहूंगा। लास्ट प्रश्न आपका यह था...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): पहले से ही शुरू करो ना आप। उसमें सिमिट्री आ जाएगी।

श्री अध्यक्ष: पहले आप सुनो तो सही।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): मैं सारा दे देता हूं, एक एक प्रश्न का जवाब आ जाएगा। प्रशासन गांवों के संग....

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह पहला प्रश्न है ही नहीं।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): प्रशासन गांवों के संग कितने विकलांगों का आइडेन्टिफिकेशन हुआ है उसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रशासन गांवों के संग जो आइडेन्टिफिकेशन हुआ है 6 लाख 9 हजार 417 ....

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): विकलांग हैं, विकलांग बता रहे हैं या जनरल बता रहे हैं?

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): जनरल आइडेन्टिफिकेशन नि:शक्तजनों का।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): नि:शक्तजनों का बता रहे हैं।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): हां, आपने नि:शक्तजनों का ही पूछा है उसमें से हमने 2 लाख 93 हजार 905 के लिए कार्ड जारी कर दिये हैं। यह अबव 40 परसेंट हैं।

आपने पूछा कि नि:शक्तजनों के लिए सरकार क्या क्या कार्य कर रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट अनाउन्समैंट में यह घोषणा की है कि नि:शक्त जनों के लिए एक अलग से निदेशालय बनायेंगे, राजस्थान में पुनर्वास संस्थान खोला जाएगा। जिसमें नि:शक्त जनों के लिए ट्रेनिंग के काम होंगे, इंटरप्रेटर उनके लिए वहां ट्रेनिंग दी जाएगी और आगामी तीन वर्षो में एन जी ओज के साथ सहयोग करके प्रत्येक नि:शक्त जन को यह कोशिश होगी कि वह पैरों पर खड़ा हो सके। उसके लिए वहां जितने भी साधन उपलब्ध कराये जा सकते हैं, कराये जायेंगे। सभी प्रकार के नि:शक्तों को उनकी आवश्यकता के अनुसार, कोई पैर से यदि विकलांग है तो उसके लिए, कोई हाथ से है तो उसके लिए, जिनकी जिस प्रकार की आवश्यकता होगी उनको आगामी तीन वर्षो में वह सारे उपकरण साधन उपलब्ध कराये जायेंगे।

मैं अध्यक्ष महोदय, और निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक और घोषणा की है कि राजस्थान में मानसिक विमन्दितों के लिए पुनर्वास केन्द्र खोले जायेंगे। जिसमें जयपुर और जोधपुर में पहले से ही है और पाँच सम्भाग स्तरों पर अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर में और ....

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): बजट में पढ़ लिया है।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): यह केन्द्र खोले जायेंगे ताकि हमारे जो नि:शक्त जन हैं उनको सहयोग हो सके और उनको लाभ मिल सके।

आपने तीसरा प्रश्न अपने केकड़ी विधान सभा के बारे में पूछा है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने यह प्रश्न किया है कि केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में प्रशासन गांवों के संग में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में 5077 कुल आवेदन फार्म प्रस्तुत हुए, जिसमें 2013 हमने स्वीकृत कर दिये और 1344 आवेदन पत्र खारिज शेष 1720 आवेदन पत्र हैं। मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि वृद्धावस्था के जो आवेदन फार्म थे वह प्राप्त हुए हमें 4434, जिसमें स्वीकृत हुए 1416, खारिज हुए1298, शेष रहे 1720, यह 1720 वह फार्म हैं जिनको ऑन लाइन करना है इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना के फार्म में।

विधवा पेंशन के जो हमें आवेदन प्राप्त हुए वह 371 स्वीकृत कर दिये, 347 खारिज हुए, 24 विकलांग के आवेदन पत्र जो प्राप्त हुए वह 272 स्वीकृत हुए 250, खारिज हुए 22, इस प्रकार आपके विधान सभा क्षेत्र का यह आपने जो जानकारी चाही है वह मैंने आपको प्रस्तुत की है।

आपका एक प्रश्न विकलांगों के बारे में रहा है कि ...(व्यवधान)... विकलांगों को क्या क्या सहायता दी जा रही है, वह मैंने आपको निवेदन किया कि विकलांगों को पेंशन दी जाती है, विश्वास योजना के तहत उनको सहयोग दिया जाता है, ट्राईसाइकिल दी जाती है, उनको उपकरण दिये जाते हैं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ...

श्री अध्यक्ष: आप जवाब तो आ जाने दो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह जवाब, मैंने सवाल पूछा ही नहीं है यह, जवाब क्या दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप विराजो।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना और स्टेट पेंशन योजना में राजस्थान सरकार तीनसौ रुपये का सहयोग करती है और केन्द्र सरकार हमें दोसौ रुपये का सहयोग करती है। यह तीनों प्रकार की जो पेंशन है उनमें बराबर से सहयोग देते हैं और आपने एक प्रश्न किया है कि स्टेट का कितना पैसा लगता है। एग्जेक्ट फिगर मैं अभी इस वक्त बता नहीं पाऊंगा कि राजस्थान सरकार कितना पैसा देती है और राष्ट्रीय पेंशन का कितना पैसा हमें प्राप्त होता है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): एक मिनट, केकड़ी से ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, आप बीच में कैसे खड़े हो गये? माननीय मुख्यमंत्री जी तो हो सकते हैं, यह राज्य मंत्री हैं, ...(व्यवधान)... एक मिनट मैं बता रहा हूं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह चिट्ठी आपके पास भिजवा देता हूं जिसमें मुख्यमंत्री जी ने मुझे पूरक सवालों का जवाब देने के लिए आथोराइज किया है। यह आथोराइज किया है यह चिट्ठी आपके पास भिजवा दूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): है मेरे पास चिट्ठी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): है आपके पास तो फिर काहे को उठा रहे हो आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसलिए पूछ रहा हूं, चिट्ठी है इसलिए पूछ रहा हूं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): फिर मैं पूरक सवाल का जवाब देने के लिए आथोराइज हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप दे सकते हैं लेकिन बात तो सुन लो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अब क्या रह गया यह।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं अध्यक्ष जी को कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, नियमों में नियम यह है कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो उस विभाग का .....

vns/usc/11.10/16.3.2011/1b/1

तो राज्य मंत्री के जवाब देने के बाद अगर राज्य मंत्री सक्षम नहीं हो या वह जवाब देने में असमर्थ पा रहा हो तो जो मंत्री है कैबिनेट स्तर का वह उसका जवाब देगा।

मुख्यमंत्री जी किसी मामले में नीति सम्बन्धी बात क्योंकि प्रश्नकाल में नहीं कहते परन्तु वह कहना चाहें तो कह सकते हैं। अधिकृत कर दिया तो अधिकृत भी कर सकते हैं लेकिन वह माननीय मंत्री जब सदन में उपस्थित नहीं हो तब कर सकते हैं। माननीय मंत्री सदन में उपस्थित हैं, माननीय मंत्री सदन में जवाब दे रहे हैं। आप उसके कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हो इसलिये अध्यक्ष महोदय, यह जवाब नहीं दे सकते। नहीं दे सकते।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मुख्यमंत्री जी ने मुझे आथराइजेशन किया है माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): किया होगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मुख्यमंत्री जी ने जो मुझे आथराइजेशन किया है उसमें साफ लिखा हुआ है कि सदन में प्रश्न का उत्तर माननीय कारागार राज्य मंत्री द्वारा दिया जायेगा जबकि इससे सम्बंधित बिन्दुओं पर चर्चा/पूरक जानकारी सदन को माननीय शांति धारीवाल, गृह मंत्री द्वारा दी जायेगी।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): चलो आप ही दे दो, कोई बात नहीं। उसमें क्या दिक्कत है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): दे रहे हैं ना जवाब। यह दे रहे हैं जवाब।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, गृह मंत्रीजी। एक मिनट। आप कुछ कहना चाहते हैं क्या ? आप बिराजें। आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या ?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात पूछी है कि राज्य का अंश कितना है इन सब योजनाओं पर वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग और पालनहार और दूसरा केन्द्र का अंश कितना है, तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्य कि वृद्धावस्था में 16918 लाख का मात्र यह तो राज्य का अंश है और केन्द्र का अंश है..

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आपसे बढ़िया तो वह जवाब दे रहे थे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह तो राज्य का अंश है और केन्द्र का अंश है 10614, कुल मिला करके 27532.95 योग है और इसी तरीके से...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): लाख है, करोड़ है ?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): लाख है। मैं पहले बता चुका हूं लाख। विधवा के मामले में 11795.14 लाख राज्य का अंश है और केन्द्रीय अंश है 12011.98 लाख और कुल मिला करके 13006.72 योग है। ठीक इसी तरीके से विकलांग के मामले में राज्य का अंश है 4993.39, केन्द्र का अंश है 229.94 और कुल मिला करके 4923.33 लाख योग है। इसी तरीके से पालनहार योजना में 15557.78 राज्य का अंश, केन्द्र का अंश और कुल मिलाकर योग 1575.78 योग है। जैसा आपने बताया केकड़ी के बाबत आपको डिटेल बता दी गयी है।

दूसरी बात यह थी कि प्रशासन शहर की ओर में...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): गांव की ओर।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हां, प्रशासन गांव की ओर में।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, एक महीना लिया है, स्थगित भी हुआ है प्रश्न। एक-एक महीने तक सवाल का जवाब नहीं हो तो फिर अब क्या कहें बताओ आप मेरे को।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): जवाब है क्यों नहीं ? जवाब है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): एक महीना लिया। मेरा स्थगित भी हुआ है प्रश्न।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): वृद्धावस्था के कुल मिलाकर राजस्थान में जो आवेदन प्राप्त हुये थे वह 1,97,514 थे...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कहां के बता रहे हो ? यह किस जगह हैं बता रहे हो ? केकड़ी के ? केकड़ी के 1 लाख 97 हजार.. मेरे मतदाता कितने हैं माननीय, यह तो बताओ आप मेरे को। केकड़ी में 1 लाख 97 हजार...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपने राजस्थान के पूछे। केकड़ी के पूछे...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप केकड़ी के बता रहे हो ना ?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैंने पूरे राजस्थान का बताया है।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी। मंत्री महोदय, आप उधर मत उलझिये। इधर..

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैंने पूरे राजस्थान का बताया है। मैं राजस्थान के बता रहा हूं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, 5077 बताये थे राज्य मंत्री महोदय ने, 1720 इसमें शेष बताये थे। अब किसकी बात सही मानें हम ? राज्य मंत्री कुछ कहें और यह कुछ कहें। तुर्रम खां बनते हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): न इनकी तैयारी है, न उनकी तैयारी है..

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप बहुत तैयार हो। आप बड़े तैयार होकर आये हैं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट प्रश्न यह है। आंकड़े में उलझने की जरूरत नहीं है। मैंने साफ पूछा है मंत्रीजी से कि कुल कितना वित्तीय भार राज्य वहन कर रहा है सारे तरीके की विधवा की हो, पालनहार हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो। तमाम जो सोशल सिक्योरिटी के हैं उनमें टोटल पैसा राजस्थान सरकार कितनी दे रही है और हमको केन्द्र से कितना खर्चा मिल रहा है।

दूसरी बात यह कि अगर राइडर हटा दिया जाए तो दोनों का हिस्सा कितना टोटल अमाउंट बताइये आप। आप सवाल को...

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): सवाल को घुमाने की कोई आवश्यकता नहीं है। न सवाल को घुमाया जायेगा।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जिस-जिस चीज का उलटा बोल रहे हैं सदन के सामने जरा बताएं अजमेर जिले का मामला है। हमारे अजमेर जिले का मामला है..

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): अध्यक्ष महोदय, जैसा स्पष्ट प्रश्न किया है वैसा स्पष्ट ही जवाब देने की कोशिश की जायेगी। आपने राज्यांश और केन्द्रांश के बारे में प्रश्न किया है तो माननीय मंत्री महोदय ने अभी आपको जवाब दे दिया है। यदि आप चाहें तो मैं इसको दुबारा रिपीट कर सकता हूं। पेंशन के बारे में...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): नहीं दिया है, आप दो।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): कभी यह खड़े होते हैं, कभी वह खड़े होते हैं।

श्री अध्यक्ष: कभी यह खड़े होते हैं, कभी आप खड़े हैं, मैं क्या करूं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यह मंत्री तैयारी करके नहीं आये तो वह खड़े हो गये। अब इनकी तैयारी नहीं है तो वह खड़े हो गये। आखिर कोई तो..(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जवाब तो आने दो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह स्थगित प्रश्न है इसीलिये पूरी तैयारी करके आये हैं। ऐसी बात नहीं है कि तैयारी नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): दोनों की नहीं है पूरी तैयारी।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): दोनों की तैयारी है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): एक महीने बाद भी न इनकी तैयारी है, न उनकी तैयारी है।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): जवाब तो सुन लें आप। जवाब तो सुन ले एक बार। वृद्धावस्था पेंशन में हमारा राज्यांश है...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मैं कुल मांग रहा हूं..

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): कुल बताया है..

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): पूरे राजस्थान जितने भी तरीके की सोशल सिक्योरिटी दी है उसमें टोटल अमाउंट कितना राजस्थान वहन कर रहा है, कितना केन्द्र कर रहा है और राइडर हटा दो तो कितना-कितना अंशदान राज्य सरकार और केन्द्र का है। वह अमाउंट पूछ रहा हूं सीधा-सीधा आपसे।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): यह बता दिया है...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अलग-अलग क्यों बता रहे हैं आप..

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): यह तीनों का जोड़ कर लें आप..

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मैं क्यों कर लूं ? आप करके बताओ ना..

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): मैं बता देता हूं आपको। हां मैं बता देता हूं। 16998.11 लाख यह हमारा वृद्धावस्था पेंशन में है...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, मैं कितनी बार रिपीट करूं। मैं कह रहा हूं टोटल अंशदान। पूरी सोशल सिक्योरिटीज पर राजस्थान सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है और उसमें केन्द्र कितनी मदद दे रहा है। राइडर्स..

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): आप बिराजें मैं बता रहा हूं..

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): राइडर्स हटा दें तो यह अमाउंट कितना बनेगा राज्य का, केन्द्र का, सीधा-सीधा आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। आप उसको घुमा रहे हैं..

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): आप बिराजें। 32 हजार...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पूरी अयोग्य है। अध्यक्ष महोदय, एक साथ ही खड़ा करके दे इनको। विधान सभा मजाक बना रखी है..

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आप बीच में क्यों खड़े हो रहे हो..(व्यवधान) जवाब तो आने नहीं देते। बहुत सीरियस मामला है, आने दो ना जवाब। जवाब तो आने दो..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है पहले तय कर दो जवाब कौन देगा ? आपसे प्रार्थना है पहले तय कर दो कि जवाब कौन देगा। या तो वह दें..(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्ष महोदय, जवाब कोई भी दे, मामला सीरियस है। आप जवाब तो आने दो। बार-बार खड़े हो जाते हैं..

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से रिकवेस्ट करूंगा वाकई प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है इसको उसी तरह से लिया जाए। आपने पूछा राज्यांश कितना है हमारा तो 32506 लाख राज्यांश है टोटल तीनों प्रकार की पेंशंस पर। इसी प्रकार केन्द्र अंश 13054 लाख है।

अब आपने इसके साथ एक प्रश्न किया है कि यदि राइडर हटा दिया जाए तो हमारा कितना खर्चा होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राइडर हटाने के बाद कितने लोग पेंशन के हकदार होंगे इसकी काउंटिंग की जायेगी। उसके बाद कितना हमें उसका खर्चा वहन करना पड़ेगा वह बाद की बात है। आज कितना आप डाइल्यूट कर सकते हैं, कितना आप इसको काउंट कर सकते हैं इसका आज कोई फिगर नहीं है हमारे पास में कि कितने वृद्ध होंगे, कितनी विधवा होंगी, कितने विकलांग होंगे, या 25 साल का पुत्र होगा ऐसे कितनों के हमें राइडर हटाने पड़ेंगे तो उसमें कितनी संख्या बढ़ जायेगी और टोटल संख्या कितनी आयेगी वह आज काउंट करना बड़ा असम्भव है..

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है वह इन्होंने बोल दिया, अच्छी बात है, बहुत स्वागत करते हैं इसका लेकिन मुझे आप मंत्री महोदय, यह बताने का कष्ट करें कि इसके लिये बजटरी प्रोविजन क्या किया है ? कितने रुपये आपने तय किये हैं इसके अन्दर ? आप बता दीजिये कि जो आप विकलांगों को फैसेलिटीज देना चाह रहे हैं, जिसके लिये आयोग बना है, निदेशालय आपका काम कर रहा है इसके लिये बजटरी प्रोविजन इस बजट में कितना है वह बता दो आप।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): राइडर हटाने की मंशा है क्या वह भी आप बता दें।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसी चीज है जिसमें यह टोटल नम्बर आपके पास जब नहीं होगा तब तक यह बजट में कितना प्रोविजन रखेंगे वह आज तो काउंट, फिर क्या हो सकता है बजट...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह जो किये जिनको..

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं ना...

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): बजट में प्रोविजन तभी रखा जायेगा जब कोई फिगर आ जायेगा..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं वह। जवाब दे रहे हैं..(व्यवधान) श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्याम/चौहान 16.03.2011 11.20 1c

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से एक पूरक प्रश्न है, मैं उनसे यह पूछना चाहती हूं कि जो राइडर की बात की गयी, वृद्वा

पेंशन यह देते हैं, विधवा पेंशन यह देते हैं। विधवा पेंशन में इनका एक रायडर रहता है कि 25 साल से अगर बड़ा बेटा है तो उस विधवा को पेंशन नहीं दी जायेगी। मैं यह कहती हूं कि जब आप नाम देते हो विधवा पेंशन, तो विधवा पेंशन का मतलब जितनी भी विधवाएं हैं उनको पेंशन के रूप में जो भी सहयोग राशि है वह राशि मिलनी चाहिए। उसमें यह बात कहना कि अगर उसका बेटा है तब तो उस विधवा को पेंशन नहीं मिलेगी, यह गलत है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): प्रश्न यह है कि सरकार क्या इस रायडर को हटाने की सोच रखती है, पहली बात। एक मिनट, एक मिनट, माननीय अध्यक्ष जी। दूसरी बहुत टेक्निकल बात है कि अंत्योदय परिवार बीपीएल परिवार से भी नीचे की श्रेणी में आते हैं। विकलांग पेंशन जो यह देते हैं उस विकलांग पेंशन में अंत्योदय परिवार का अगर कोई विकलांग है तो उसको पेंशन नहीं दी जाती है क्योंकि अंत्योदय परिवार बीपीएल की सूची में एडेड नहीं है। यह एक टेक्निकल मिस्टेक है, क्योंकि अंत्योदय बीपीएल से भी नीचे है। लेकिन फिर भी बीपीएल को सुविधा मिल रही है, मगर अंत्योदय को सुविधा नहीं मिल रही है। जो अंतिम पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति है उसको नहीं मिल रही है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या अंत्योदय परिवार के विकलांग को भी पेंशन देने की सरकार की योजना है क्या?

श्री अध्यक्ष: सुन लिया।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं मेरे को आप प्रश्न करने की इजाजत दीजिये।

श्री अध्यक्ष: आपके तो प्रश्न हो गये ना।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि इन्होंने यह कहा कि बजटरी प्रोविजन इसलिए नहीं किया कि काउंटिंग नहीं हुई। काउंटिंग की बात आपने तब कही है जब रायडर्स हटाने की बात हो। आज तो आपके पास काउंटेड फीगर है। काउंटेड फीगर होने के बाद अगर आप बजटरी प्रोविजन नहीं बता पा रहे हैं।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): बता रहे हैं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप बताइये कितना बजट है? दूसरी बात।

श्री अध्यक्ष: जवाब तो आने दो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): एक क्वेश्चन और है माननीय अध्यक्ष महोदय। मैंने पूछा था कि विकलांगों को सर्टिफिकेट जारी करने के लिए वर्तमान नियम क्या हैं और उनको रिलेक्स करने के बारे में आप सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। कितनी दर-दर ठोकरें खा रहे हैं विकलांग भाई-बहन हमारे, जिनका सर्टिफिकेट नहीं बन पाता, पेंशन उनकी बकाया है। जिन लोगों के चिह्नित हो गये केसेज, उनकी आज तक तीन महिने हो गये पेंशन चालू नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष: बिराजो, जवाब दिलायेंगे। हां, राजेन्द्र जी राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि प्रशासन गांवों के संग गया। आपने नि:शक्तजन छांटे हैं 6,94,117,

आपने पेंशन स्वीकृत की 2,93,905, इन शेष को आप क्या सहयोग और सहायता देंगे। 40 प्रतिशत से कम नि:शक्तजन को क्या सहायता देंगे, नम्बर एक। नम्बर दो, क्या बजट बनाने से पहले हर विभाग का बजटरी प्रोविजन होता है और उसी के अनुसार एस्टिमेट बनते हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है आपका?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपके विभाग के जो एस्टिमेट बने वह क्या थे? नम्बर तीन, जब आप परित्यक्ता को पेंशन देते हैं ..।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इनको यह तो बताओ कि उधर मुंह करें ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मुस्लिम लॉ के अनुसार काजी का प्रमाण-पत्र लेकर...।

श्री अध्यक्ष: इधर देखकर, इधर देखकर।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): उधर देखिये। उधर देखकर के बात करिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, परित्यक्ता को पेंशन मिलती है तो मुस्लिम लॉ...।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरा प्रश्न यह है कि मुस्लिम लॉ के अनुसार ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): इनका प्रश्न कुछ भी नहीं है, इनका डिस्टर्ब करने का काम है। एक प्रश्न पर आधे घंटे तो चला दिया और क्या होगा। एक ही बात को पूछते-पूछते ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: इधर मुंह करके इधर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): काजी का प्रमाण-पत्र लेकर एवं दो हस्ताक्षर करने पर जब मुस्लिम परित्यक्ता को पेंशन मिल जाती है तो मैरिज एक्ट के तहत न्यायालय से डायवर्स पिटीशन के तहत कोर्ट से लेने की क्या आवश्यकता पड़ गयी?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इधर, इधर।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह कोई प्रश्न है क्या ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या इसको हटाने की सरकार मंशा रखती है ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न है क्या? जिसका कोई सार नहीं निकलता वह प्रश्न है क्या? बार-बार एक ही बात को बीस बार घुमा दिया।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह कोई प्रश्न है क्या?

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। मैं किसी को अलाऊ नहीं करूंगा, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी जवाब दे रहे हैं ...(व्यवधान)... अंकित नहीं होगा। किसी का अंकित नहीं होगा, मंत्री जी का जवाब आने दीजिये ...(व्यवधान)...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: मैं मंत्री जी का नाम पुकार चुका हूं, मंत्री जी का जवाब आने दीजिये ...(व्यवधान)...

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): 000

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: एक प्रश्न में 23 मिनट निकल गये हैं। आप मंत्री जी का जवाब आने दीजिये मेहरबानी करके।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: मैं किसी को अलाऊ नहीं करूंगा। कोई अंकित नहीं होगा। मंत्री जी का जवाब आने दीजिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: आप सीनियर सदस्य हैं, आप जानते हैं कि अंकित नहीं हो रहा है तो जवाब कहां से दिला दूंगा। मंत्री जी केवल जवाब देंगे और कोई नहीं बोलेगा।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन दी जाती है तो मुस्लिम महिलाओं के लिए जो रायडर नहीं है, उनको केवल तलाक के आधार पर पेंशन दी जाती है तो हिन्दु महिलाओं में बगैर किसी कोर्ट डिक्री के पेंशन दे दी जाये। यह आपका प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लॉ की ऐसी मंशा है, हिन्दू लॉ में यह प्रोविजन है कि लीगली डायवर्स वाइफ जो होगी उसको हम पेंशन देंगे या लीगली सेपरेटेड जो वूमन है, अपने पति से अलग रहती है और कोर्ट से उसके पास कोई डिक्री है या आर्डर है तो उसको हम पेंशन देते हैं। इसी प्रकार पाँच वर्ष तक जिस किसी महिला का अदालत में मुकदमा पैंडिंग है, चाहे वह डायवर्स का मुकदमा हो, चाहे वह रेस्टीट्युशन ऑफ कन्जुगल राइट्स का मुकदमा हो, यदि पाँच साल तक कोई मुकदमा चल रहा है तो उसको पेंशन देय है। आपका यह प्रश्न था।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मैंने जो पूछा उसका भी जवाब दे दो ना अब।

श्री अध्यक्ष: दे रहे हैं, दे रहे हैं। जवाब दे रहे हैं बैठ थोड़े ही गये।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): मैं सभी का दे देता हूं। एक आपका प्रश्न था कि विधवा महिला विधवा होती है उसका चाहे 25 साल का पुत्र हो जाये तो उसका रायडर हटा दें, तो उसको पेंशन मिलती रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, सरकार की मंशा है कि निराश्रितों को, विधवाओं को, विकलांगों को और वृद्वजनों को पेंशन मिले। जब तक उस विधवा का कमाऊ पुत्र नहीं है, तब तक सरकार उसको पेंशन देती है। पहले यह प्रोविजन 20 साल का था, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 से बढ़ाकर 25 साल किया। 5 साल उसको और बढ़ाया। यदि उसका पुत्र 25 साल तक भी कमा नहीं पा रहा और अपनी माँ की सेवा नहीं कर पा रहा ...(व्यवधान)...

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): 000

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): यह 25 साल तक जो बढ़ाया है यह माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाया है। 25 साल तक बच्चे को यदि आप संस्कारित नहीं कर रहे हैं और वह आपको खर्चा नहीं दे रहा है, यह ठीक है कि यह आप सबका दर्द है और सब विधवाओं का भी दर्द है कि पेंशन मिलनी चाहिये ...(व्यवधान)...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): 000

श्री अध्यक्ष: आप जवाब आने दीजिये ...(व्यवधान)... प्लीज, जवाब आने दीजिये ...(व्यवधान)...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): 000

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): 000

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): 000

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): 000

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): 000

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): अध्यक्ष महोदय, केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया था।

श्री अध्यक्ष: बस उसका जवाब देकर के छुट्टी करो।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): उस बजट में कितना प्रोविजन रखा है। उसके लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 70,378.28 लाख रूपये बजट में इस बार प्रोविजन रखा है और यह सारा विकलांगों, वृद्वावस्था और विधवाओं के लिये बजट प्रोविजन रखा है। इसके अनुसार सारे काम किये जायेंगे।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): 000

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानदेव आहूजा। अगला प्रश्न, श्री ज्ञानदेव आहूजा ...(व्यवधान)...

विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ की निगम बस सेवा रहित ग्राम पंचायतें

173. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1). विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ की कितनी ग्राम पंचायतें राज्य पथ परिवहन निगम सेवा से वंचित है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2). क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायतों में रोडवेज की सेवा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): 000

श्री अध्यक्ष: आप बिराज जायें। मैं अगला प्रश्न पुकार चुका हूं। अगला प्रश्न पुकार चुका हूं ...(व्यवधान)...

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)...

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अगला प्रश्न पुकार चुका हूं ...(व्यवधान)...

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): खण्ड (1). विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के अंतर्गत आने वाली रामगढ़ तथा लक्ष्मणगढ़ पंचायत समितियों में स्थित 28 ग्राम पंचायतें राजस्थान परिवहन निगम की बस सेवा से वंचित है। तत्संबंधी सूची परिशिष्ठ '1' पर संलग्न है।

खण्ड (2). जी हां। इस वित्तीय वर्ष के बजट अभिभाषण को मध्य नजर रखते हुए तथा पूर्व में जारी निविदा की शर्तों को अधिक व्यावहारिक बनाकर उक्त ग्राम पंचायतों को निगम/निजी बस सेवा से जोड़ने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत सीधा सा सवाल किया। आश्चर्य है कि 63 साल से अभी तक किसी विधान सभा क्षेत्र की, राजस्थान में और भी विधान सभा क्षेत्र होंगे ऐसे जिनमें दो तिहाई पंचायतें अभी तक निगम की बस सेवा से नहीं जुड़ी हैं। अभी भी जो खण्ड क्रमांक 2 पर माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है वह भी भ्रमित करने वाला है। यह दिया है कि प्रक्रियाधीन है, अब आपकी प्रक्रिया कब पूरी होगी, अध्यक्ष महोदय, मैं यह मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। आप पिछले दो बजट में लगातार आश्वासन देते रहे हैं। हालांकि आश्वासन समिति आपके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करती। लेकिन आश्वासन देते रहे हैं कि सभी पंचायतों को निगम की बस सेवा से जोड़ेंगे और अभी भी जो आपने उत्तर दिया है उसमें निगम की बस सेवा/ प्राइवेट बस, उसमे आपकी निविदा निकलेंगी, प्रक्रिया के अंतर्गत करेंगे।

jyg/akt/16.3.2011/11.30/1d

लेकिन अब मेरा स्पेसीफिक और सीधा सा सवाल है बहुत आसान सा कि इसकी समय अवधि और तारीख बताएं कि आप इसे कब तक करेंगे। प्राइवेट वाले जिस ढंग से बसों में सवारियां ठूंसते हैं सामान सहित, भेड़-बकरियों की तरह, इसलिए हमें प्राइवेट बस नहीं आपके निगम की सेवाएं चाहिए, वह आप समय और तारीख स्पेसीफिक बताए, यह मेरा निवेदन है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी

ने घोषणा की है उसके आधार पर 3 आदमियों की – अध्यक्ष*, आर एस आर टी सी की अध्यक्षता में, एम डी रोडवेज और प्रिंसीपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हमने एक कमेटी गठित कर दी है, वह कमेटी अपनी रिपोर्ट 15.4.2011 को दे देगी और उस रिपोर्ट के आधार पर यह बसों से जोड़ने का कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): निगम की बसें, मैंने कहा है, आपकी कमेटी तो बैठी है लेकिन प्राइवेट बसें नहीं चाहिए, आप घोषणा करें कि निगम की बसों को ही आप चालू करेंगे, प्राइवेट बसें नहीं चाहिए, जैसा आपने लिखा है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): रामगढ का ही किया है राजस्थान का किया है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित प्रश्न है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हम भी पूछ लेंगे, हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

श्री अध्यक्ष: आपका पूरक प्रश्न क्या है?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): रामगढ़ का ही करंगे? हमारे भुवाणा पडा, सूरजगढ़ पडा ...(व्यवधान)... यह कह देते हैं करेंगे, करेंगे, कमेटी बना दी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरक प्रश्न में मैंने कहा है, प्राइवेट बसें नहीं, निगम की बसें प्रारम्भ करेंगे, इसके लिए कृपा करके आप बताएं कि कब करेंगे?

श्री अध्यक्ष: आप विराजें माननीय सदस्य। आपके प्रश्न का जवाब देंगे।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने जवाब में कह चुका हूं कि अध्यक्ष*, आर एस आर टी सी की अध्यक्षता में तीन आदमियों की कमेटी बना दी है जिसमें एम डी, रोडवेज और प्रिंसीपल सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट है। वह कमेटी अपनी रिपोर्ट 15.4.2011 को दे देगी उसकी सिफारिशों के मुताबिक रामगढ़ को अलवर जिले से जोड़ दिया जाएगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): निगम की बसें, मैंने कहा है, सीधा-सीधा सवाल है माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सीधा उत्तर नहीं दे रहे हैं कि निगम की बसें प्रारम्भ करेंगे या प्राइवेट करेंगे, आपकी कमेटी क्या कहेगी? मेरा यह निवेदन है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): यह तो कमेटी की रिपोर्ट आने पर निर्भर होगा।

श्री अध्यक्ष: श्री श्री बाबूसिंह राठौड़।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): कमेटी अगर प्राइवेट का कह देगी तो?

श्री अध्यक्ष: कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद करेंगे यह कह चुके हैं। श्री बाबूसिंह राठौड़।

ग्राम चामूं (जोधपुर) में सहकारी बैंक की स्थापना

174. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में नवीन सहकारी बैंक स्वीकृत करने के मानदण्ड क्या है? मानदण्ड की प्रति

*** माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार संशोधित।**

सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में कितने सहकारी बैंक कार्यरत हैं एवं इनमें कितने कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार तहसील शेरगढ़ के ग्राम चामू में सहकारी बैंक अथवा बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): (1) नवीन केन्द्रीय सहकारी बैंक के गठन के लिए मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। अरबन कोऑपरेटिव बैंकों की स्वीकृति के निर्धारित मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) राज्य में शीर्ष स्तर पर एक राज्य सहकारी बैंक तथा जिला स्तर पर 29 केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यरत हैं। इनमें कर्मचारियों के 3563 पद स्वीकृत हैं तथा 1107 पद रिक्त हैं। राज्य में 36 अरबन कोऑपरेटिव बैंक कार्यरत हैं, जिनमें कर्मचारियों के 1282 पद स्वीकृत हैं तथा 167 पद रिक्त हैं। सूची परिशिष्ट-3 व 4 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। तहसील शेरगढ़ में पूर्व से ही केन्द्रीय सहकारी बैंक की तीन शाखाएं- शेरगढ़, बालेसर एवं देचू में है। ग्राम चामू बैंक की नजदीकी शाखा देचू के क्षेत्राधिकार में है।

(4) जी हां। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड एवं जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। अरबन कोऑपरेटिव बैंकों में रिक्त पदों पर भर्ती उनके सेवा नियमों के अंतर्गत स्वयं बैंकों द्वारा की जाती है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने बताया है कि केन्द्रीय सहकारी बैंक में कर्मचारियों के 3563 पदों में से 1167 पद रिक्त हैं और अरबन कोऑपरेटिव बैंक में 1282 में से 167 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों को कब तक भर देंगे या भर दिए जाएंगे।

केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा खोलने के क्या मानदण्ड है? मैंने चामू के लिए जो मांग की है, चामू के इर्दगिर्द पेराफरी में कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियां आती हैं, कितनी ग्राम पंचायतें आती हैं, देचू से वह कितनी दूरी पर है, देचू कौनसे विधान सभा क्षेत्र में है, यह बताएं।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि रिक्त पद कब तक भर देंगे। हमारे कोऑपरेटिव बैंकों में रिक्त पदों की भर्ती के लिए हमने परीक्षा करवा दी है, उनका जल्दी ही नतीजा आ जाएगा और बाकी जो पद हैं उनको हम प्रमोशन से और संविदा के आधार पर लगाने का प्रोविजन है वह हम जल्दी ही अगले साल में सारे रिक्त पद भर देंगे।

दूसरा आपने कहा कि चामू में बैंक की शाखा के बारे में। माननीय अध्यक्ष महोदय, शेरगढ़ अकेली पंचायत समिति में पहले से ही तीन हमारे बैंकों की शाखाएं हैं, जबकि वहां

हमारी जो वायबेंसी है, ब्रांच खोलने के जो मानदण्ड होते हैं, 20 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 1 ब्रांच होनी चाहिए, तब वह वायबल होगी तो आपके यहां जो खोली हुई है वह बालेसर में 8 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, शेरगढ़ में 13 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं और देचू में 10 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं और अगर आप चामू में भी खुलवाना चाहते हैं तो मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहूंगा कि कौनसी ब्रांच वहां टूटेगी? आपकी जो आशंकाएं हैं कि ग्रामीणों को क्रोप लोन के लिए बैंकों की शाखाओं में दूर जाना पड़ता है। हमने इस साल से नए निर्देश जारी किए हैं कि हमारी जो सारी ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं उनको इस साल सबको मिनी बैंक का दर्जा दे देंगे। ब्रांचों में किसानों को नहीं जाना पड़ेगा, उसी ग्राम सेवा सहकारी समिति में उनको फसली ऋण उपलब्ध हो जाएगा। यह ब्रांच खोलने के लिए न तो कोई पत्र मिला है, न कोई मांग आई है। इस सवाल के मार्फत ही यह आया है। इसलिए वायबिलिटी को देखते हुए आपके चामू शाखा खोलने का अभी विचार नहीं बनता है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: सफिशिएंट जवाब है। ...(व्यवधान)... मूल प्रश्नकर्ता।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): बजट में आपने घोषणा की थी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर, ग्राम सेवा सहकारी समिति खोलेंगे, कब खोलेंगे?

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न बैंक से सम्बन्धित है क्या?

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): इसीलिए कह रहा हूं, इसीलिए मांग कर रहा हूं, यह भी निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: यह इसी प्रश्न से सम्बन्धित है क्या?

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): इसी से सम्बन्धित है। आपने बजट में घोषणा की थी कि क्रय विक्रय सहकारी समितियां पंचायत समिति मुख्यालयों पर खोलेंगे, वह कब खोलेंगे? शेरगढ़ में नहीं है, इसमें 10 पंचायत समितियां चामू की पेराफरी में है और 40 किलोमीटर दूर है, देचू लोहावट विधान सभा क्षेत्र में है, शेरगढ़ में नहीं है।

श्री अध्यक्ष: सहकारी समिति ग्राम पंचायत वाइज का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई सम्बन्ध नहीं है, यह बैंक से सम्बन्धित प्रश्न था। ...(व्यवधान)...

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): 21 पंचायतें हैं तो यह हमारी वायबल होती है। यह फिजिबल होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम सेवा सहकारी समिति प्रत्येक ग्राम पंचायत में खोलने की घोषणा..........

श्री अध्यक्ष: मैं अलाऊ नहीं करूंगा। आप प्रश्न इस तक सीमित रखें मेहरबानी करके।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): हां वहीं कर रहे हैं। इन्होंने शेरगढ़ में तीन शाखाएं बताई हैं, वह शेरगढ़ में एक और लोहावट और देचू और बालेसर की समितियां अलग हैं। बालेसर में है, केवल चामू में नहीं है इसलिए मेरी मांग है कि दूर बहुत ज्यादा है, 40 किलोमीटर दूर है, 10 ग्राम सेवा सहकारी समितियां आती हैं, 16 पटवार मण्डल हैं, 21 ग्राम पंचायतें हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि चामू में भी आप केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा खोलने की

घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर।

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न केवल मात्र एक चामू से सम्बन्धित था। मंत्रीजी ने जवाब दे दिया फिर भी मैं उनसे निवेदन कर दूंगा कि आप इसका परीक्षण करवा लें अगर फिजिबल हो तो आप देख लें।

अगला प्रश्न, श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

जोधपुर एवं उदयपुर संभाग में नियम विरुद्ध जारी क्वारी लाइसेंस के प्रकरण

175. श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा) एवं श्री कालीचरण सर्राफ (मालवीय नगर): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि खनिज अभियंता, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, सोजत एवं मकराना तथा सहायक अभियन्ता, निम्बाहेड़ा ने राजस्थान अप्रधान खनिज नियमावली, 1986 के नियम 22/1 की अवहेलना करते हुए बिना डेलीनिएशन किए एवं बिना नोटिफिकेशन जारी किए समय-समय पर विभिन्न खनिजों के क्वारी लाइसेंस जारी किए गए हैं? यदि हां, तो क्यों? वर्ष 2003 से 2010 तक जारी किए गए क्वारी लाइसेंस का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बिना डेलीनिएशन किए एवं बिना नोटिफिकेशन जारी किए जारी लाइसेंसों के कारण सरकार को करोड़ों रुपये की हानि हुई है?

(3) क्या यह भी सही है कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार दोषी अभियंताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): (1) खनिज अभियंता, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, सोजत एवं मकराना तथा सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेड़ा के क्षेत्राधिकार में जारी क्वारी लाइसेंस की सूची परिशिष्ट-1 पर है। इस सम्बन्ध में उप सचिव, खान द्वारा की गई जांच के अनुसार उक्त लाइसेंसों को गलत माना गया परन्तु जब अतिरिक्त महाधिवक्ता की राय के अनुसार उक्त लाइसेंस नियमानुसार है।
(2) प्रकरण में अभी राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जाना शेष है।
(3) प्रकरण में अभी राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जाना शेष है।

मोहन/चौहान/16032011/1140/1e

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, खण्ड एक में जो जवाब दिया सरकार ने कि उप सचिव खान द्वारा जो जांच की गई, उसके अनुसार लाइसेंस गलत थे और अतिरिक्त महाधिवक्त की राय के अनुसार उक्त लाइसेंस नियमानुसार हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि सरकार ने क्या माना है? जब 1977 से यह प्रकरण लम्बित चल रहे हैं तो सरकार का स्पष्ट निर्णय बताया जाए कि यह सही है या गलत है।

दूसरा, जो मैंने यह पूछा था कि इससे सरकार को करोड़ों रुपये की हानि हुई है तो इसमें अब भी मेरे को स्पष्ट जवाब नहीं मिला है और सरकार ने जवाब दिया है कि प्रकरण में अभी राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जाना शेष है। मैं अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि इसका भी स्पष्ट जवाब दें कि हां, हानि हुई है या नहीं हुई है।

तीसरा, मेरा प्रश्न यह है कि आपने जो सूची दी है भीलवाड़ा जिले की उसमें शीतला का चौड़ा और भीकरिया के जो क्वेरी लाइसेंस हैं उसमें भीकरिया क्षेत्र में 107 क्वेरी लाइसेंस आपने दे रखे हैं। उस क्षेत्र में अभी तक भी राजस्व रिकार्ड में वह क्षेत्र चारागाह दर्ज है तो इतने वर्षों से माइनिंग में, खनन विभाग ने और राजस्व विभाग ने आपस में मिल बैठकर क्षेत्र को माइनिंग में दर्ज नहीं किया, इस कारण से वहां जो मोगर क्षेत्र था, उस क्षेत्र के सैकड़ों लाइसेंसधारक बेचारे परेशान हो गये और वह राजस्व रिकार्ड में माइनिंग दर्ज नहीं होने के कारण वह फोरेस्ट में चली गई और आज तक वह दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि भीकरिया क्षेत्र को माइनिंग में कब तक दर्ज करा लिया जाएगा?

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न 2007 में इसी विधान सभा में जब लगा था, तत्कालीन खान मंत्री जी ने आश्वासन दिया उस समय इसकी जांच की गई, उसी समय जांच के बाद कुछ और जिले हैं और कुछ जो प्रश्न में थे जिले, सब में, एक साथ पूरे राजस्थान की इसमें जांच हुई, जिसमें कुछ नियमों की अवहेलना हुई। इस चीज को तत्कालीन खान उप सचिव थे जिन्होंने माना लेकिन कानूनी राय जब तत्कालीन खान सचिव ने कानूनी राय जानने के लिए यह भेजा तो इसके अंदर नियम 22(1) में यह स्पष्ट अंकित है कि बिना डेलीनेशन एवं नोटिफिकेशन के क्वेरी नहीं दी जा सकती। इस चीज को मानते हुए उन्होंने इसको गलत माना लेकिन इसी 22(1) के परंतुक में स्पष्ट किया कि नोटिफिकेशन केवल एरिया हेतु नहीं बल्कि खनिज के लिए भी जरूरी है, यदि पूर्व में ही खनिज नोटिफाइड है तो पुन: नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है तो दोनों विरोधाभाषी होने की वजह से उसमें यह मामला लंबित चल रहा है, फिर भी माननीय सदस्य को चिंता है तो महीने, दो महीने में हम इसको डिसाइड कर देंगे और बाकी जहां तक, हानि डिसाइड होने के बाद ही यह तय हो पाएगा कि हानि हुई या नहीं हुई और अभी इसी में, इस प्रश्न के बाद छोटी खाटू का एक इश्यु इसी परंतुक को लेकर एमसीसीआर, 1986 को हाईकोर्ट में चेलेंज की है इसलिए यह मामला लंबित है। यह मामला 2003 से 2010 तक की सारी क्वेरी के लिए मांगा था तो हमने वह डिटेल भी इनको दी।

जहां तक भीलवाड़ा, बदनौर का सवाल है, इन्होंने बताया भीकरिया के 160 खनिज पट्टे उसमें हैं लेकिन वास्तविक प्रतिवेदन, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला कलक्टर के समक्ष जब यह चीज आई तो उस समय के तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार, सहायक उप वन संरक्षक, इन सब की एक कमेटी बनाई गई।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): एक मिनट, मंत्री महोदय, वह मोगर क्षेत्र का था ......(व्यवधान)......

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपको अवसर दूंगा पूछने का, जवाब आ जाने दीजिए ......(व्यवधान)......

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): भीकरिया का निवेदन कर रहा हूं, साहब, वह मोगर का बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: मैं आपको फिर अवसर दूंगा।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): यह मेवाड़ के बदनौर क्षेत्र की जो बात थी, उस समय दर्ज के पहले उनको पट्टी-कातले के लिए वहां के लोकल लोगों को एक खान के पट्टे दिये हुए थे लेकिन 1977 में जब पहले की रियासत के पट्टों को जब खनिज नीति में समावेश किया, इस चीज को लेकर वहां लोग खनिज कर रहे थे तो 1983 को जब यह चीज सामने आई और वन क्षेत्र में जब वहां के गांव के लोगों ने आब्जेक्शन किया, उसमें तत्कालीन कलक्टर ने 2006 में एक कमेटी नियुक्त की है, उस कमेटी में तहसीलदार वहां का एसडीएम, वहां का पटवारी जो शीतला का चौड़ा, भीकरिया, मोगर, इन सभी गांवों का जब सीमांकन हुआ तो माननीय अध्यक्ष महोदय, सीमांकन में शीतला का चौड़ा, बदनौर एरिया राजस्व में पाया गया और जहां माननीय सदस्य कह रहे हैं, वह एरिया वन विभाग में पाया गया, इस वजह से वहां खानें निरस्त की, फिर भी आपकी समस्या जायज है, मैं इसको दुबारा आप कहें तो यह आश्वासन दे सकता हूं, दुबारा कमेटी गठित करके उसका सीमांकन किया जा सकता है। यह तरीका है, साहब।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): मैं निवेदन कर रहा हूं मंत्री महोदय, कि वह जो आप बात बता रहे हैं, वह शीतला का चौड़ा और मोगर क्षेत्र का जो विवाद था, उसकी बात आपने बताई, मैं भीकरिया क्षेत्र की बात कर रहा हूं, इसमें कोई बात विवाद नहीं है और वह अभी भी राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज है, जबकि वर्षों से वहां क्वेरी लाइसेंस जारी कर रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि भीकरिया को माइनिंग दर्ज करा दिया जाए नहीं तो जो समस्या मोगर क्षेत्र में आई है, वही समस्या भीमरिया में वापस जारी हो जाएगी।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस चीज को दिखवा कर कानूनी हिसाब से कलक्टर, फोरेस्ट विभाग, माइनिंग विभाग, एक कमेटी गठित, जैसा सदस्य चाह रहे हैं, उसके अनुसार देखते हुए कानूनी कार्यवाही के अनुसार कर दिया जाएगा। ......(व्यवधान)......

श्री हबीबुर्रहमान (नागौर): खाटू का जो इन्होंने कहा है, जो बाकी खानें थीं, रजवाड़ों के टाइम की, उनकी भी दो साल से ......(व्यवधान)......

श्री अध्यक्ष: खाटू की वजह से शायद हाई कोर्ट में चला गया मामला।

श्री हबीबुर्रहमान (नागौर): लेकिन उन खानों का भी दूसरे लोग खाटू वाले गये कोर्ट में लेकिन जो दो साल से इन्होंने बंद कर रखी है ......(व्यवधान)......

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आपका मामला भी दिखवा लूंगा ......(व्यवधान)......

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए ......(व्यवधान)......

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आपका मामला दिखवाकर हल निकाल लेंगे ......(व्यवधान)...... हाईकोर्ट में गया जो पूरे एमसीआर 22 एक्ट को उसने आब्जेक्शन किया, उसके तहत गया और आपके मामला अलग से दिखवा कर निश्चित रूप से इसको मैं ......(व्यवधान)......

श्री अध्यक्ष: आखिरी सवाल है आपका ......(व्यवधान)......

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अपन चैम्बर में बैठकर बात करेंगे।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, सोजत के अभियंता ने सालरिया पंचायत में क्वेरी लाइसेंस बिना पंचायत की एनओसी लिये, पंचायत के मना करते हुए, बिना उसकी एनओसी दिये हुए भी उसने 7 लाइसेंस तो जारी कर दिये और 5 और लाइसेंस वहां सालरिया पंचायत में और जारी करने की चेष्टा कर रहे हैं। पंचायत एनओसी नहीं दे रही है, उसके बाद भी सोजत माइनिंग इंजिनियर ने क्वेरी लाइसेंस दिये हैं तो आप खारिज करेंगे कि नहीं? माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाह रहा हूं ......(व्यवधान)......

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, माइनिंग से संबंधित मामला है वन विभाग का।

श्री अध्यक्ष: क्या बिना पंचायत की अप्रूवल के निर्देश दे दिये गये? इतना ही बता दो ......(व्यवधान)...... मंत्री जी के अलावा किसी का अंकित नहीं होगा। माननीय बिराजिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): 000

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो रहा है ......(व्यवधान)...... केवल इतना बता दीजिए कि पंचायत की बिना एनओसी के आप माइनिंग अलाटमेंट करते हैं क्या? यह पूछ रहे हैं? ......(व्यवधान)......

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): 000

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): इसमें अलग अलग जमीन का होता है, साहब, चारागाह की अलग है, बिला नाम अलग है, खातेदारी अलग है ......(व्यवधान)......

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): 000

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): मैं दिखवा कर करवा लूंगा कार्यवाही ......(व्यवधान)......

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न ......(व्यवधान)...... श्री घनश्याम तिवाड़ी ......(व्यवधान)...... माननीय बिराजें।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): 000

श्री अध्यक्ष: आप बिराजें, आपके दल के उप नेता खड़े हो गये हैं, अप थोड़ा लिहाज करिए, बैठ जाइए।

एच.एस.बी. एग्रो इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड रींगस (सीकर) के विरूद्ध आबकारी शुल्क चोरी की जांच पर कार्यवाही

176. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा आबकारी शुल्क की चोरी की शिकायत के आधार पर फर्म एच.एस.बी. एग्रो इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड रींगस, जिला सीकर की जांच की गई है? यदि हां, तो कब व किन बिन्दुओं पर क्या जांच की गई? उक्त जांच किसके द्वारा की गई और जांच के क्या परिणाम रहे? जांच परिणाम के आधार पर फर्म के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण जांच प्रतिवेदन व इसके आधार पर फर्म के विरूद्ध की गई कार्यवाही की प्रति मय विवरण के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने उक्त फर्म द्वारा आबकारी शुल्क की चोरी के संबंध में वर्ष 2008-09 व 2009-10 की ही जांच की है? यदि हां, तो केवल उक्त दो वर्षों की ही जांच किस आधार पर की गई? पूर्व वर्षों व वर्तमान वित्तीय वर्ष की कोई जांच क्यों नहीं कराने के क्या कारण रहे तथा ऐसा निर्णय किस स्तर पर लिया गया? विवरण मय निर्णय से संबंधित नोटशीट की प्रति के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त फर्म के विरूद्ध अन्य वित्तीय वर्षों के लिए भी गहनता से जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त जांच के आधार पर फर्म को मिल रही सरकारी सुविधाओं पर अंकुश लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो नियमानुसार क्या क्या अंकुश लगाने का प्रावधान है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): (1) जी नहीं। एच.एस.बी. एग्रो इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. रींगस, जिला सीकर के विरूद्ध आबकारी शुल्क की चोरी की शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी, अपितु आबकारी विभाग ने मेघालय के संस्थान को निर्यात किये गये चालीस हजार बल्क लीटर ई.एन.ए. की गन्तव्य इकाई तक पहुंच का सत्यापन कराया था। आबकारी विभाग की पहल पर मेघालय के सक्षम आबकारी प्राधिकारी से यह सूचना प्राप्त होने पर कि प्रेषित ई.एन.ए. गन्तव्य इकाई तक नहीं पहुंचा है, के आधार पर एच.एस.बी. एग्रो इण्डस्ट्रीज, रींगस के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 18,54(e) एवं 54 D के अन्तर्गत आबकारी वृत्त श्रीमाधोपुर में अभियोग संख्या 12 दिनांक 10.01.2011 दर्ज किया गया। चालीस हजार बल्क लीटर ई.एन.ए. गन्तव्य तक नहीं पहुंचने के कारण इकाई द्वारा निष्पादित बॉण्ड का उल्लंघन करने पर इकाई के विरूद्ध राजस्थान आबकारी नियम, 1956

के नियम 37(2) के अन्तर्गत एक करोड़ चौदह लाख चौबीस हजार रू. की शास्ति आरोपित की जाकर चालीस लाख रू. की वसूली की गई है।

Skp/usc/16.03.2011/11.50/1f

आयात परमिटों तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र की कूटरचना करने के लिए इस इकाई के विरुद्ध आबकारी विभाग ने पुलिस थाना, रींगस में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406, 420, 467, 468 एवं 471 के अन्तर्गत अभियोग संख्या 15 दिनांक 11.01.2011 को दर्ज कराया है। उक्त दोनों अभियोगों की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट 1 व 2 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। इकाई की आबकारी शुल्क की चोरी के सम्बन्ध में वर्षवार जांच नहीं की गई है। आबकारी विभाग के आन्तरिक अंकेक्षण दल ने जिला आबकारी अधिकारी, सीकर, जिसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रश्नगत इकाई भी आती है, वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 का आन्तरिक अंकेक्षण जनवरी-फरवरी, 2011 में किया है। वर्ष 2007-08 तक आन्तरिक अंकेक्षण पूर्व में ही सम्पन्न हो चुका है। चालू वित्तीय वर्ष का आन्तरिक अंकेक्षण वर्ष की समाप्ति के उपरान्त किया जाता है। आन्तरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं नोटशीट की प्रति परिशिष्ठ 3 एवं 4 पर संलग्न है।

(3) ईकाई का नियमित रूप से सत्यापन एवं अंकेक्षण किया जाता है। वर्ष 2009-10 तक का अंकेक्षण किया जा चुका है।

(4) उक्त इकाई पूर्ववत राजस्थान आबकारी नियम, 1956 एवं राजस्थान डिस्टलरी नियम, 1976 के अनुरूप संचालित है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय मंत्री महोदय, आप इतना बता दें कि केस दर्ज होने के बाद में आबकारी विभाग ने क्या-क्या कार्यवाही की?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि जो ईएमआई बाहर भेजा गया है वो फर्जी डाकूमेंट थे तो उसी वक्त आबकारी विभाग द्वारा और आबकारी विभाग ने पुलिस महकमे में उनके खिलाफ एक अलग से मुकदमा दर्ज कराया जिसके बारे में मैंने आपको अभी जानकारी दी। अभी दो मुलजिम जो इम्पोर्ट लाइसेंस लेकर के आये थे वो अरेस्ट हुए हैं, उनकी कोर्ट से जमानत नहीं हुई है और वो अभी अन्दर हैं। परसों दो मुलजिम इसमें और अरेस्ट हुए हैं जो पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं यह पूछ रहा था कि मेघालय से जब परमिट आया तो उसका यह क्रॉस वैरिफिकेशन उसी समय होता है जब परमिट आता है। वो क्रॉस वैरिफिकेशन नहीं हुआ उसके लिए किन अधिकारियों पर आपने कार्यवाही की?

दूसरी बात, जो रोड ट्रांसपोर्ट से जिसका परिवहन हुआ है और जो फर्जी निकली है उस पर क्या कार्यवाही की गई? नम्बर तीन, जो पेमेंट हुआ उसके बारे में क्या कार्यवाही की? नम्बर चार, माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि पहले अजीतगढ़ के बारे में चर्चा हुई

थी, आज रींगस के बारे में हो रही है, 9 और डिस्टलरीज हैं उनमें वो जो मूल आदमी है जिसने यह कूट रचना करके भिन्न-भिन्न राज्यों के फर्जी परमिट ले आये 8 राज्यों के, उसको पकड़ने के लिए क्या कार्यवाही की गई? और क्या अजीतगढ़ का या रींगस का थाना 8 राज्यों में जाकर के यह सारी बातचीत करके इसका काम कर सकते हैं क्या? सीधा प्रश्न है कि जैसे आपने बाकी आबकारी सम्बन्धी मामलों की जांच अतिरिक्त मुख्य सचिव को दी है तो इस पुलिस जांच को आप राजस्थान स्तर पर एसओजी को, सीआईडी को या विशेष सेल बनाकर उसको देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते? यदि नहीं देना चाहते हैं तो क्या कारण है? क्योंकि सीबीआई की मांग मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने कह दिया कि सीबीआई तो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है इसलिए उसकी मांग मैं नहीं कर रहा हूं, मुझे राजस्थान की पुलिस पर विश्वास है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): दिल्ली में आपने नेता कहते हैं। मैंने नहीं कहा, मैंने तो उनको कोट किया है। जो दिल्ली में आपके नेता हैं वो कहते हैं कि कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): तो आपके आदर्श हमारे नेता हैं न?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैंने तो उनकी बात आपसे कही है कि यह सोच लें कि उनकी बात मानोगे या यह सीबीआई की इन्क्वायरी मांगोगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मुझे खुशी है कि आपने हमारे नेताओं को आदर्श मान लिया है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आपने उनको आदर्श माना। मैं कह रहा हूं कि सीबीआई को आप नहीं देना चाहें.....

श्री अध्यक्ष: आपने कितने मूल प्रश्न पूछे हैं? आपने कितने पूरक प्रश्न पूछे हैं? पूरक प्रश्न कितने पूछ लिये हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह सारे ही मूल हैं, यह मूल में हुआ काम है, यह मूल का काम है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस ट्रांसपोर्ट कम्पनी के द्वारा यहां से माल जाना बताया है, जब इस बात की जानकारी की तो मूल रूप से जो संगीता रोड लाइंस नाम का ट्रांसपोर्ट है वो ही फर्जी है, इस नाम से कोई भी ट्रांसपोर्ट कम्पनी अस्तित्व में नहीं है। जिस ट्रक के जरिये यह माल यहां से बाहर गया वो ट्रक के नम्बर जो यहां अंकित थे HR38 M 9287 जिसका चालक था दुर्गा प्रसाद, बिल्टी नम्बर 9021/8.8.2011, ट्रक नम्बर HR38 P 6289 चालक रतन सिंह, बिल्टी नम्बर 9022/19.8.2011, ये संगीता रोड लाइंस के थे लेकिन जब यह सारी जानकारी ली गई तो यह ट्रक का जो चेसिस है यह भी फर्जी है, रतन सिंह नाम का कोई ड्राइवर भी कहीं पर अस्तित्व में नहीं है और संगीता रोड लाइंस, यह भी कहीं अस्तित्व में नहीं है। माननीय सदस्य, आपने जैसे फरमाया कि इसके रेवेन्यू लोसेज के बारे में तो एसीएस जांच कर रहे हैं,

अब मैं इस सारे प्रकरण को क्योंकि यह पूरे सदन की भावना है, मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि आईजी सैकण्ड जो हैं वो अपने स्तर पर इसकी जांच करायें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कौन आई जी सैकण्ड ?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): आई जी जयपुर सैकण्ड हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक मिनट। यह केवल जयपुर डिविजन में नहीं हुआ मामला। ये 11 डिस्टलरीज हैं। आदमी जिसने यह फर्जी परमिट लिये उसने 8 स्टेट के अलग-अलग परमिट लिये और 8 स्टेट्स में अपना माल गया है और आठों जगह हमने वैरिफिकेशन नहीं किया इसलिए मेरा कहना है कि जब तक आप डीजी के अन्तर्गत एक विशेष सेल बनाकर के इसकी जांच नहीं करेंगे तब तक 11 फैक्ट्रियों के अलग-अलग प्रश्न लगायें, सदन का समय लेने से कोई मतलब नहीं है। एक बात और, 8 राज्यों में जांए और 8 राज्यों की पुलिस उनकी मदद करे और इसमें जो कोल्यूजन बना हुआ है उस कोल्यूजन के वहां तक पहुंचे। क्योंकि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा है और यह जो अवैध शराब बनती है उसका काम भी है और यह सारा काम इस प्रकार का है इसलिए मैं यह चाहूंगा कि डायरेक्टर जनरल पुलिस की देखरेख में एक विशेष सेल का गठन कराकर के इस सम्पूर्ण प्रकरण की आप जांच करायें और एक अतिरिक्त मुख्य सचिव कर ही रहे हैं फाइनेंस का जो काम देखते हैं, इन दोनों जांच के आने के बाद अपराधियों का पता लग सकेगा वह राज्य के हित में है, यह करोड़ों रुपये का मामला है इसलिए मैं चाहूंगा कि इसके लिए विशेष सेल का गठन किया जाए।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक रेवेन्यू लोसेज की बात है तो रेवेन्यू तो जितनी भी हमारी इनसे जो वसूल की जानी चाहिए थी वह रेवेन्यू तो हमने वसूल की।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह कर लेंगे जांच।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मामला सिर्फ इसका है कि चूंकि यह कई स्टेट्स का मामला फरमा रहे हैं, राजस्थान में हमारी यह जो दो डिस्टलरीज हैं इनके मामले में और ये सारी जो अनियमितताएं जो पाई गई हैं, वैसे तो मैंने पूरे सदन की भावना को देखते हुए आईजी के स्तर पर इसकी जांच कराने का कहा है लेकिन फिर भी यदि सदन यह चाहता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं, राज्य सरकार की मन्शा कतई इनको रिलीफ देने की या इनके प्रति कोई सद्भावना की नहीं है, राज्य सरकार निश्चित रूप से यह चाहती है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो और सख्ती से इन पर रोक लगे। निश्चित रूप से यह ईएनए जो बाहर गया, जो फर्जी डाकूमेंट के माध्यम से गया, राज्य सरकार भी अपने स्तर पर यह कतई नहीं चाहती, तो मैं इसकी जांच डीजी को निर्देशित करता हूं कि वो अपने स्तर पर इसकी जांच करायें।

श्री अध्यक्ष: पहले मूल प्रश्नकर्ता।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आदरणीय मंत्री महोदय, मैं आपसे यह जानकारी चाहता हूं कि क्या यह सही है कि इन उल्लिखित दो वित्तीय वर्ष जिसके अभिलेखों की ऑडिट आपने कराई है, उक्त इकाई ने एक लाख 94 हजार लीटर का उत्पादन किया और उत्पादन करने के बाद में आपने यह अंकित कर दिया कि 40 हजार लीटर तो कम से कम ऐसा था जो कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जिसका निर्यात हुआ था, ठीक इसी प्रकार एक दूसरी ईकाई जिसका आपने सदन में पहले उल्लेख किया था, 3 लाख लीटर उल्लिखित दो वित्तीय वर्ष के अन्दर ऑडिटेड के अन्दर यह आया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पहली वाली इकाई जो अजीतगढ़ थी उसमें तत्काल आबकारी कमिशनर ने एक इंक्वायरी दल बनाया और उन्होंने उस फैक्ट्री की इन्क्वायरी की। क्या इस फैक्ट्री का भी आपने जब आपको यह पता पडा तो आपने इन्क्वायरी करवाई और इन्क्वायरी करवाई तो इन्क्वायरी करवाने के बाद में आपको ऐसे कितने कूटरचित और दस्तावेज मिले? और जब आपके पास में यह दो प्रमाण आ गये थे तो इन समस्त इकाइयों जिनका कि सांगानेर से आने वाले आदरणीय सम्माननीय सदस्य फरमा रहे हैं, आपने पूरे राजस्थान के अन्दर क्या इन सारी चीजों का निर्यात, जो चालान होते हैं उनका सत्यापन करवाया और सत्यापन करवाने पर बाकी सारे सही मिले? दूसरा, आपके आबकारी विभाग ने विशेष प्रतिवेदन अभियोग के के अन्दर जब चालान पेश करने की बात की तो इसमें यह लिखा हुआ है कि सभी अभियुक्त मौके से फरार हैं। आपकी इण्डस्ट्री चल रही है, आप खुद फरमा रहे हैं We have not seized the industry. और इसके अन्दर Industry and an institution are run either by an MD or a Chairman. मुझे आप यह बतायें कि अगर पूरी इण्डस्ट्री चल रही है और मौके पर चल रही है और इस पूरे विषय को दो महीने से ज्यादा हो गये हैं तो कम से कम यह तो आप सुनिश्चित करायें.....

vkj/usc/16.03.2011/12.00/1g

मैं यह नहीं कह रहा, आप किसको पकड़े, नहीं पकड़े, यह आप जांच पर छोड़ दीजिये लेकिन इतना तो कम से कम इस पर हो कि आपका जांच दल पूरी की पूरी इण्डस्ट्री के मालिकों को फरार बताता है, ट्रकों के मालिकों को फरार बताता है, उसके बाद भी इण्डस्ट्री का आज प्रोडक्शन हो रहा है। यह तो आपने आडिट सिर्फ 2009-2010 तक का दिया है, 2010-2011 में भी प्रोडक्शन हो रहा होगा, आज भी हो रहा होगा तो यह तो आखिर समझ से बाहर है और एक चीज जो आपके आडिट के पैरा में आयी है, उन्होंने साफ लिखा है पैरा-3 में, आर.सी.आर. पंजिका के संधारण व मिलान प्रक्रिया पर विशिष्ट टिप्पणी एवं यह भी प्रमाणित करें कि विभाग में जिन चालानों को सही मानकर मदिरा परमिट जारी किये गये हैं, क्या वास्तव में उस चालान की राशि राजकोष में जमा हुई है या नहीं? यह तो थी आपके इन्क्वायरी आफिसर की एक क्वेरी जिसका अभी तक आपने समाधान नहीं किया और आपने जो इन्क्वायरी दल बैठाया था, उस इन्क्वायरी दल ने बिन्दु-15 में एक बात कही है कि

जितने भी आपके ऐसे दल अलग-अलग ब्रेवरीज में बैठे हैं, आपके यहां निर्यात परमिट और सत्यापन प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए हैं अथवा नहीं?

श्री अध्यक्ष: कृपया जल्दी समाप्त करें, समय हो रहा है। जल्दी समाप्त करें। एक जवाब दिलवा दूं आपसे बस।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं जल्दी कर रहा हूं। इकाई में ई.वी.सी. रजिस्टर में संधारित किये जा रहे हैं या नहीं। प्रभारी अधिकारी को उक्त दस्तावेज नियमानुसार संधारित करने के निर्देश दिये जाते हैं। निर्देश दिये जाते हैं लेकिन इसमें आज तक...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इसमें एक डाइरेक्टर कांग्रेस का विधायक है, इसलिए इस पर कार्यवाही नहीं हुई है। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): ...कोई सत्यापन करने का इनके पास में सिस्टम नहीं था, यह आपका खुद का इन्क्वायरी दल लिख रहा है। इसके बाद में क्या आपने सुनिश्चित कर लिया क्या? ये दोनों चीजें मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, ये जवाब दे दीजिये आप। मंत्रीजी, बस इनका जवाब दे दीजिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि इण्डस्ट्री के बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में एक कांग्रेस का एम.एल.ए. भी डाइरेक्टर है? इसलिए इसमें कार्यवाही नहीं हो रही है। यह तो बताओ।

श्री अध्यक्ष: जवाब तो आ जाने दीजिये माननीय सदस्य, जवाब आ जाने दीजिये। जवाब आ जाने दीजिये। आज जवाब दीजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे ही यह बात सामने आई कि यहां से फाल्स डाक्यूमेंट के माध्यम से ई.एन.ए. बाहर चला गया, हमने उन सारे हालात को कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस तरह से बिलकुल सुनिश्चित कर दिया कि जब भी यहां से बाहर ई.एन.ए. निर्यात होगा, बिना इस बात की पूर्व में जांच किये हुए कि यह ट्रांजिट परमिट जो बाहर से आया है आयात के लिए, वह वैध है या नहीं है। इसकी जानकारी करने के लिए हमने आन-लाइन सिस्टम भी इसमें एडाप्ट करने की प्रक्रिया की है, व्यक्तिगत रूप से, फोन पर, वहां के कन्सर्न, जो वहां पर एक्साइज कमिशनर हैं, उनसे भी इस बारे में एन्श्योर करेंगे और फैक्ट्स के जरिये भी हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो डाक्यूमेंट आपके वहां से रिलीज हुए हैं, ये डाक्यूमेंट सही है या नहीं है। इसके अलावा मैं समझता हूं कि इसमें और कोई कारण ऐसा बचता नहीं कि इस तरह से फाल्स डाक्यूमेंट के माध्यम से कोई ई.एन.ए. बाहर चला जायेगा।

दूसरी बात, फैक्ट्री चलने की बात फरमाई। फैक्ट्री में हमने टैक्नो बायोटैक के छह लोगों को अरेस्ट किया है, यहां से चार लोगों को अरेस्ट कर लिया। फैक्ट्री बंद कराना हमारा उद्देश्य नहीं है और निश्चित रूप से मुझे यह स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि फैक्ट्री के जो डाइरेक्टर्स हैं, वह अभी यहां पर नहीं हैं, पुलिस भी फरार मान रही है लेकिन सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस गम्भीरता से इस मामले को उठाया, मैं एक बार पुन: पूरे

सदन को आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है और इतने उच्च स्तर पर जब इनकी जांच हो रही है और रेवेन्यु लोसेज की भी जांच हो रही है और पुलिस की भी इसमें जांच हो रही है तो इसमें मैं समझता हूं, इस तरह की कोई बात बाकी बची नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अब फरार है तो फैक्ट्री कैसे चल रही है? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो डाइरेक्टर आप गायब बता रहे हैं, उसमें से एक डाइरेक्टर...

श्री अध्यक्ष: समय देखिये आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...आपका एम.एल.ए. प्रकाश चौधरी इस हाउस में कल उपस्थित था।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। चर्चा समाप्त।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): क्या बात कर रहे हो आप। क्यों घुमा रहे हो इस बात को और आप कह रहे हैं कि डाइरेक्टर नहीं है। डाइरेक्टर स्वयं यहां उपस्थित है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में से एक एम.एल.ए. है कांग्रेस का, उसके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की? (व्यवधान)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 जयपुर से झालावाड़ फोरलेन निर्माण के तहत अवाप्त की गई भूमि के मुआवजे में कथित भेदभाव किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(2) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से सीमल्या थाना क्षेत्र के जनकपुर गांव की अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार एवं हत्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(3) डा. जसवन्त सिंह यादव एवं तीन अन्य सदस्य की ओर से जिला अलवर की तहसील बहरोड़ में स्प्रिट, बीयर व शराब की फैक्ट्रियों के कारण गांवों का पानी दूषित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(4) श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य की ओर से जिला श्रीगंगानगर में अघोषित विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(5) श्री बाबूलाल खराड़ी एवं दो अन्य सदस्य की ओर से मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(6) श्री कैलाश चन्द भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर के झालामण्ड जोन में क्षतिग्रस्त सड़कों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

उपरोक्त प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है। माननीय सदस्यों को संबंधित विभागों की अनुदान की मांगों पर चर्चा के समय बोलने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(7) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में ऊंटों की घाटी में बंद खानों पर वर्षों से काबिज अनुसूचित जाति/जनजाति की कच्ची बस्तियों को हटाकर फैक्ट्रियों के लिए भूमि उपलब्ध कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

माननीय सदस्य को पर्ची के माध्यम से बोलने की अनुमति दी गई है। अत: इस प्रस्ताव पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(8) प्रो. वासुदेव देवनानी एवं चार अन्य सदस्य की ओर से अध्यापक पात्रता परीक्षा में निर्धारित की गई पात्रता के कारण कामर्स(वाणिज्य) के छात्र/छात्राओं के अध्यापक बनने के अवसर समाप्त हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(9) श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत उदयपुर की झीलों के विकास कार्य नगर परिषद, उदयपुर से यू.आई.टी. को स्थानान्तरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(10) श्री मोहन लाल गुप्ता, सदस्य की ओर से जयपुर शहर में मिनी बसों की लापरवाही से प्रतिदिन होने वाली दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(11) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से बांसवाड़ा जिले के हींच गांव के दो व्यक्तियों की हत्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में तो मैं असमर्थ हूं, फिर भी माननीय सदस्य प्रो. वासुदेव देवनानी, श्रीमती किरण माहेश्वरी, श्री मोहन लाल गुप्ता एवं श्री गुलाब चन्द कटारिया को अपने-अपने प्रस्तावों की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रो. वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मेरा निवेदन यह है कि वैसे तो आपको पूरे अधिकार हैं लेकिन नियमों के तहत अधिकार है कि आप किस चीज को एक्सपंज कर सकते हो और किसको नहीं कर सकते हो। साफ लिखा हुआ है, "The Speaker is vested with the powers to order expunge of words which is in his opinion..

श्री अध्यक्ष: वह मुझे पता है, वह मुझे पता है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप मुझे पढ़ लेने दीजिये। ...which is in his opinion are defamatory or indecent or unparliamentarily or undignified from the proceedings of the House." मैंने कल कौनसी ऐसी भाषा कही जिसको कि आपने एक्सपंज किया है। मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही थी कि कुत्ते को गोली क्यों मारी? (व्यवधान) इतनी सी बात कही थी। इसमें डिफेमेटरी क्या था?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: आप बिराजिये, आप बिराजिये। (व्यवधान) आप बिराजिये।

एक माननीय सदस्य: बिराजिये बिराजिये। कल भी बहुत हंगामा कर लिया आपने।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं, मुझे यह बताया जाये कि इसमें डिफेमेटरी क्या था, इसमें मानहानिकारक क्या था? मैंने किसके खिलाफ मानहानिकारक कहा? मैंने बात इतनी ही कही थी कि कुत्ते को गोली क्यों मारी? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बिराजिये, आप बिराजिये।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई शब्द नहीं था। ऐसा कोई शब्द नहीं था। (व्यवधान) नेता को सुनना नहीं था इनको।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मुझे बताया जाये, फिर इसमें डिफेमेटरी क्या था? मुझे बताया जाये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि यह सत्ता पक्ष सदन को चलाना नहीं चाहता।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कुत्ते को गोली क्यों मारी। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मुझे यह बताया जाये कि मैंने किसकी मानहानि की? कृपया मुझे बताइये ताकि मैं उसको सुधार कर सकूं। (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा अपने स्थान से नारेबाजी)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य सदन कूप में आ गये)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मुझे बताया जाये (व्यवधान) कृपया मुझे बताया जाये कि मैंने क्या डिफेमेटरी शब्द काम में लिया? (व्यवधान) मैं अपनी गलती सुधारने को तैयार हूं। (व्यवधान) मैं अपनी गलती सुधारने को तैयार हूं, यदि यह बता दिया जाये कि मैंने कोई मानहानिकारक शब्द काम में लिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.09 बजे, एक घंटे के लिए स्थगित हुई।)

Jkj/akt/13.00/1n/16.03.2011

(13.09 बजे)

पुन: समवेत् होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जब सदन की आप व्यवस्था दे रहे थे अपने स्थगन प्रस्तावों पर, उसके बाद स्थगन प्रस्तावों पर जब आपने नाम पुकारा तो माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने खड़े होकर आसन की व्यवस्था के बारे में यहां कुछ नियमों को कोट कर कर अपनी बात कही। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि सदन में जो व्यवस्थाएं अध्यक्ष महोदय दे देते हैं वह अंतिम हैं और उनको चुनौती नहीं दी जा सकती।

Lpm/akt/1310/1o/16-3-2011

और अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो आसन की व्यवस्थाओं को चुनौती देकर न केवल आसन का बल्कि संपूर्ण सदन का एक तरह से अपमान किया है और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि सबसे पहले तो आसन की व्यवस्थाओं को चुनौती, जिन नियमों का कोट कर-कर आसन की व्यवस्थाओं को चुनौती दी है उन सारी कार्यवाही को एक्सपंज आप एक्सपंज कराये। क्योंकि आसन के बारे में कोई भी बात इस प्रकार की कहना जिसमें आसन की मानहानिकारक हो, उसके बारे में स्पष्ट व्यवस्थाएं हैं कि उन बातों को एक्सपंज करते हैं तो उनको तो एक्सपंज कराया जाए। एक मेरा आपसे आग्रह यह है। दूसरा, मेरा आपसे आग्रह यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हमने कल भी सारी बातों को सहन करके और आज हम आ गये कि हम सदन की कार्यवाही चलाना चाहते हैं। आज पेयजल जैसे गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। 40 से अधिक माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। हम सदन की कार्यवाही चलाना चाहते हैं और हम आसन का पूरा सम्मान करते हैं और आसन का अपमान हमको बिलकुल बर्दाश्त नहीं है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पर व्यवस्था दें और ...(व्यवधान)...

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): अध्यक्ष महोदय, कल माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना नहीं और यह चौथी बार हुआ है और यह कह रहे हैं कि सदन चलाना चाहते हैं। आपके मार्फत मैं पूछना चाहता हूं कुत्ते को गोली क्यों मारी? ...(व्यवधान)...

श्री करणसिंह (छबड़ा): कल आपकी परम्परा कहां थी? कल आपकी परम्पराएं कहां थी? सदन की गरिमा कहां थी, सदन की परम्पराएं कहां थी? ...(व्यवधान)...

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): कल आपने मुख्यमंत्री जी को नहीं सुना और जनता में संदेश देना चाहते हो कि हम सदन चलाना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस कुत्ते को गोली क्यूं मारी? ...(व्यवधान)...

श्री करणसिंह (छबड़ा): पूरी जनता को आपने ...(व्यवधान)... शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। सदन के नेता को नहीं बोलने दिया आपने और आज सदन चलाना चाहते हो? आपको शर्म आनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.12 बजे एक घंटे के लिए स्थगित हुई।)

Bhs/akt/16.3.11/14.10/2d

(14.12 बजे)

पुन: समवेत् होने पर

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं सदन का ध्यान अध्यक्षीय व्यवस्था के पृष्ठ ...(व्यवधान)... मैं ...(व्यवधान)... ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, कल आसन पर आप भी विराज रहे थे, आपने भी मेरी बात सुनी है, लेकिन मैंने ऐसी कौन सी मानहानिकारक बात कही, कौन सी ऐसी अभद्रता कही, कौन सी ऐसी डेरोगेट्री बात कही, कौन सी ऐसी अनपार्लियामेंट्री बात कही गयी, जिसको कि यहां पर एक्सपंज किया गया? मैं जानना चाहता हूं अगर मान लीजिये मुझसे कोई गलती हुई हो, तो मैं अपने-आप में सुधार करने को तैयार हूं। लेकिन मुझे यह बताया जाए। आसन के प्रति हमारी श्रद्धा है, आसन का हम पूरा आदर करते हैं। ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): बिलकुल ठीक है। ...(व्यवधान)...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, ये संसदीय कार्य मंत्री हैं और आसन के द्वारा दी हुई व्यवस्थाओं को चुनौती दे रहे है। ये दुर्भाग्य है राजस्थान का कि आसन की व्यवस्था को एक सत्तारूढ़ दल का संसदीय कार्य मंत्री चेलेंज करे। यह कौनसी व्यवस्था हुई है? फिर आसन किस बात के लिए है? अगर आपके द्वारा किया हुआ निर्णय ये तो क्या, इनका मंत्रिमंडल तो क्या, हिन्दुस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी अगर चाहे तो वो फैसला नहीं बदल सकता।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ...(व्यवधान)... यह बताया जाए कि आखिर मैंने यही तो कहा था कि कुत्ते को गोली क्यों मारी? ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: कुत्ते को गोली क्यों मारी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, सभापति महोदय।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैंने जो शब्द काम में लिये तो वो ये लिये थे कि

कुत्ते को गोली क्यों मारी? ...(व्यवधान)...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...(व्यवधान)... अगर इतना घमंड आ गया है, आसन को नहीं मानोगे, आसन की व्यवस्था को नहीं मानोगे, ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): कुत्ते को गोली क्यों मारी?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...(व्यवधान)... इतना घमंड मत करो। लोकतंत्र की बरबादी मत करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ये कोई तरीका होता है? आसन से व्यवस्था दी और उसको संसदीय कार्य मंत्री ठुकराता है, आसन को चुनौती देता है। खड़ा होकर भाषण करता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ...(व्यवधान)... ये ऐसे कैसे चलेगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, ये बता दें ...(व्यवधान)... क्या इसमें ...(व्यवधान)... नहीं है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): ये आसन को चुनौती नहीं है। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य, ये आसन को चुनौती नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ये हाउस कैसे चलेगा? अगर आसन को भी नहीं मानेंगे, एक संसदीय कार्य मंत्री नहीं मानेंगे तो ...(व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैंने तो सिर्फ इतना सा पुछा है कि कुत्ते को गोली क्यों मारी? ...(व्यवधान)...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...(व्यवधान)... सबसे पहले तो संसदीय कार्य मंत्री को बाहर निकालें। ...(व्यवधान)... बाहर निकालो इनको। ...(व्यवधान)...

(सदन में नारेबाजी)

श्री सभापति: सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 14.18 बजे, 1 घंटे के लिए स्थगित हुई।)

कैलाश/अरुण 16.03.2011 15.10 (1) 2k

(15.18 बजे)

पुन: समवेत् होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है कृपया विराजे। अभी संसदीय मामलात के मंत्री जी ने पूछा था कि ....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आरोप लगाया था।

श्री अध्यक्ष: कहा था कि जो कुछ उनके द्वारा कहा गया था उसमें असंसदीय नहीं था इसलिए क्यों एक्सपंज किया गया। एक तो मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी शब्द को, कार्यवाही को एक्सपंज करने का आसन को अधिकार है। दूसरा, सारा सदन ग़लतफ़हमी में जी रहा था, कुछ रिकार्ड मंगवा कर मैंने देखा ऐसा कुछ रिकार्ड पर था ही नहीं जिसको एक्सपंज करना पडा हो। न रिकार्ड पर आया है, न एक्सपंज किया है। इसलिए सारे प्रकरण को समाप्त किया जाना चाहिये। दूसरी चीज ...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं मैं स्वीकार करता हूं कि यह अधिकार आपका है।

दुर्गा/त्रिपाठी 16032011 1520 2m

और बहुत सम्मानजनक तरीके से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह अधिकार मेरा भी है कि मैं आपसे यह निवेदन करूं, कौल एण्ड शकधर पढ़ रहा हूं, और मैं आपको एक एक्जाम्पल देता हूं कि माननीय सुरेन्द्र व्यास, जब वे इस सदन के सदस्य थे तो वे कुछ बोले। बोलने के बाद में स्पीकर की कुर्सी पर भाभड़ा साहब विराजे हुए थे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन से प्रकरण को समाप्त करने की घोषणा कर दी ना। आपने व्यवस्था दे दी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: विराजिये, बैठिये। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ये हर बात पर यहां खड़े होना जरुरी है क्या। बैठ जाइये आप।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हो चुकी है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समाप्त करने की व्यवस्था दे दी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं व्यवस्था दे चुका हूं, कृपया समाप्त करें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हर बार सदन का माहौल खराब कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा, बैठ जाइये आप। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): हर चीज में बार-बार खड़े होते हैं।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं व्यवस्था दे चुका हूं। कृपया सारे प्रकरण को अब समाप्त करिये। मैं व्यवस्था दे चुका हूं। कृपया सारे प्रकरण को आप समाप्त करें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सारे दिन एक ही तरीका कर रखा है। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): सदन के नेता को बोलने नहीं देना... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): बारबार खड़े होना जरुरी है क्या? (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): सदन के नेता को बोलने नहीं देना (व्यवधान) यह कोई तरीका है? (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह क्या तरीका है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सबका ठेका ले रखा है क्या इन्होंने। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह काहे का डिसीप्लन हुआ। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हर बार खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): हर बार खड़े हो जाते हैं। माननीय राजेन्द्रजी राठौड़ ने ठेका ले रखा है क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं व्यवस्था दे चुका हूं आसन की ओर से। कृपया अब चर्चा समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, "There have been rare cases where the Speaker on reconsideration has agreed to restore some word expunged from the proceedings of the previous day."

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आसन की लगातार अव्हेलना करना और वह भी संसदीय कार्य मंत्री द्वारा, मैं समझता हूं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती है। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सुरेन्द्र व्यास ने जब बात यहां पर कही तो स्पीकर की कुर्सी पर भाभड़ा साहब बैठे हुए थे। जब उन्होंने कहा कि आप इसको रि-कंसीडर कीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब कृपया चर्चा समाप्त करें। कृपया चर्चा समाप्त करें। कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): 000

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

याचिकाओं का उप-स्थापन

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उप-स्थापन। कर्नल सोनाराम। कोई अंकित नहीं होगा। कृपया शांति रखें। कोई अंकित नहीं होगा, कृपया शांति रखें। कर्नल सोनाराम।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित तीन याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:

1. बायतू मुख्यालय पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने बाबत 3 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित

2. माण्डपुरा बरवाला की अति क्षतिग्रस्त सड़क के 3 किलोमीटर सड़क की मरम्मत करने बाबत 3 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं

3. बायतू मुख्यालय पर रोडवेज का बस स्टेशन निर्माण करने बाबत 3 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री पवन दुग्गल, श्री पवन दुग्गल। श्री बाबूलाल खराड़ी, श्री बाबूलाल खराड़ी। (व्यवधान)

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2011

विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। पंचायती राज मंत्री, श्री भरत सिंहजी।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: अन्य किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): 000

(सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आगमन)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान, वर्ष 2010-11, अनुदान की मांगों पर विचार। श्री महिपाल मदेरणा। श्री महिपाल मदेरणा। (व्यवधान) किसी अन्य का अंकित नहीं होगा।

श्री महिपाल मदेरणा।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 46 - सिंचाई की प्रस्तुति

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या -46- सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,93,39,34,000/- (इक्कीस अरब तिरानवे करोड़ उनतालीस लाख चौंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

मांग संख्या 46 का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या -46- सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,93,39,34,000/- (इक्कीस अरब तिरानवे करोड़ उनतालीस लाख चौंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): 000

मांग संख्या-27 पेयजल योजना की प्रस्तुति

श्री अध्यक्ष: मांग संख्या 27, पेयजल योजना। (व्यवधान)

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या -27- पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 31,39,03,35,000/- (इकतीस अरब उनतालीस करोड़ तीन लाख पैंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

मांग संख्या 27 का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या -27- पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 31,39,03,35,000/- (इकतीस अरब उनतालीस करोड़ तीन लाख पैंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 17 मार्च, 2011 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.26 बजे गुरुवार, दिनांक 17 मार्च, 2011 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)